2026:AHC:228751

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 30951 of 2026

Smt Siyarani

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Param Hans Dubey, Pradeep Yadav
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C.

Court No. - 37

HON'BLE CHANDRA KUMAR RAI, J.

1. Heard learned counsel for the petitioner and Mr. Shridhar Tripathi, learned Standing Counsel for the State-respondents.

2. Brief facts of the case are that proceeding under Section 34 of U.P. Land Revenue Act initiated by the private respondent No. 4 was decided by Tehsildar vide order dated 15.06.2022 directing to record the name of respondent No. 4 being widow of deceased Veer Singh and claim of petitioner to record her name as mother of deceased has been rejected. Revision under Section 219 of U.P. Land Revenue Act filed on behalf of petitioner has been dismissed by Additional Commissioner vide order dated 09.04.2026. Hence this petition for the following relief:-**"**

> **(a) issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 09.04.2026, passed by the Additional Commissioner (Judicial-I), Kanpur Division, Kanpur, in Revision No. 1694 of 2022; and**
>
> **(b) issue a writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 15.06.2022, passed by the Tehsildar, Derapur, in Mutation Case No. 40 of 2013-14; and**

(c) issue a writ, order or direction in the nature of mandamus directing respondent no.3 to decide the mutation proceedings afresh, after affording the petitioner an opportunity to have the testimony of her witnesses properly recorded on oath and considered on merits, and further restrain respondent no.4 from selling, transferring, alienating or creating any third-party interest in the disputed holdings comprised in Khata No. 98 (Gata Nos. 65-Kha, 418 & 420), Khata No. 174 (Gata Nos. 92 & 832) and Khata No. 292 (Gata Nos. 417 & 419), village Reri, Pargana & Tehsil-Derapur, District-Kanpur Dehat, during the pendency of the present petition, otherwise the petitioner shall suffer grave and irreparable loss and injury which cannot be compensated in any manner."

3. Learned counsel for the petitioner submitted that petitioner is mother of deceased Veer Singh, as such claim of petitioner cannot be refused in arbitrary manner. He further submitted that after the death of Veer Singh, respondent No. 4 was married with another person, as such her name cannot be recorded being widow of Veer Singh. He submitted that against the earlier mutation order passed by Tehsildar, appeal filed by petitioner was allowed and matter was remanded back before Tehsildar to decide the mutation proceeding afresh, but Tehsildar has again passed the mutation order in favour of respondent No. 4 in arbitrary manner. He submitted that revision filed by the petitioner has been dismissed without considering the case as set up in revision. He submitted that impugned orders should be set aside and claim of respondent No. 4 under Section 34 of Land Revenue Act should be rejected.

4. Learned Standing Counsel for the State-respondents submitted that both the courts have recorded findings that respondent No. 4 is entitled to be recorded being widow of deceased Veer Singh, as

such no interference is required against the impugned orders passed in summary proceeding in exercise of jurisdiction under Article 226 of the Constitution of India. He further submitted that writ petition filed by petitioner should be dismissed.

5. I have considered the argument advanced by learned counsel for the petitioner, learned Standing Counsel for the State and perused the record.

6. There is no dispute about the fact that Tehsildar has passed order of mutation in favour of respondent No. 4 and revision filed by petitioner has been dismissed.

7. In order to appreciate the controversy involved in the matter, perusal of the relevant portion of order passed by Tehsildar will be necessary which is as under:

"मण्डल कानपुर

न्यायालय अपर आयुक्त न्या०, प्रथम

वाद संख्याः- 1694/2022

श्रीमती सियारानी बनाम श्रीमती ज्योति आदि

कंप्यूटरीकृत वाद संख्याः-C201103000001694

अंतर्गत धाराः- 219, उ०प्र० भू०राजस्व अधिनियम, 1901

मण्डल कानपुर, जनपदः- कानपुर देहात, तहसील-डेरापुर न्यायालय तहसीलदार

वाद संख्या: 40/2013-2014

ज्योति देवी बनाम वीर सिंह

कंप्यूटरीकृत वाद संख्याः- T201703400302053 अंतर्गत धाराः- 34/35, उ०प्र०भू० राजस्व अधिनियम, 1901

आदेश तिथि: 15/06/2022

अंतिम आदेश

ग्राम-रैरी, परगना व तहसील डेरापुर जनपद कानपुर देहात।

निर्णय

पत्रावली उपजिलाधिकारी डेरापुर कानपुर देहात के न्यायालय से प्राप्त होने के उपरान्त पक्षों को नोटिस जारी की गयी जो शामिल पत्रावली है। पक्षकार हाजिर हुए। प्रतिवादिनी को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। प्रतिवादिनी द्वारा अपने साक्ष्य के समर्थन में स्वयं प्रतिवादिनी सियारानी पत्नी बंशलाल निवासी रेरी तहसील डेरापुर व शिवेन्द्र सिंह पुत्र स्व० पुत्तीलाल निवासी रेरी तहसील डेरापुर व रामसिंह पुत्र गोकुल निवासी रेरी तहसील डेरापुर व रामआसरे पुत्र बाबूराम निवासी रेरी तहसील डेरापुर के बयान दर्ज किये गये।

दिनांक 25.02.2019 को वादिनी ज्योति देवी पत्नी वीरसिंह निवासी रेरी तहसील डेरापुर कानपुर देहात की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत कर कहा गया कि दर्ज खातेदार वीरसिंह पुत्र बंशलाल की मत्यु के पश्चात एक नामान्तरण प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी ज्योति देवी ने दिनांक 22.01.2013 को इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि प्रार्थिनी मृतक वीर सिंह की विधवा है और उनकी जायज व कानूनी वारिस है। वीरसिंह के स्थान पर बतौर विधवा उसका नाम अंकित किया जावे।

दिनांक 19.02.2013 को दूसरा नामान्तरण प्रार्थनापत्र सियारानी पत्नी बंशलाल ने इस आशय का प्रस्तुत किया कि वह मृतक वीरसिंह की मॉ है वीरसिंह के स्थान पर उसका नाम बतौरवारिस अंकित किया जाये। सियारानी द्वारा प्रस्तुत गवाह रवीन्द्र का कहना है कि एक्सीडेन्ट की सूचना शाम 7-8 बजे मिली, शिवेन्द्र का कहना है कि एक्सीडेन्ट शाम 7.00 बजे हुआ सियारानी का कहना कि एक्सीडेन्ट 10 बजे हुआ और पोस्ट मार्टम शाम 3 बजे हुआ गवाह कहते हैं कि पोस्ट मार्टम 10 बजे हुआ सियारानी व शिवेन्द्र ने कही नहीं कहा है कि ज्योती देवी ने दूसरा शादी कर ली है जबकि गवाह रामसिंह व रामआसरे का कहना है कि ज्योती देवी ने पुर्नविवाह कर लिया है गवाह शिवेन्द्र व रामसिंह का कहना है कि गवाही देने से पहले हलफ नहीं उठाई इस प्रकार से शिवेन्द्र व रामसिंह की गवाही स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। स्वयं सियारानी ने पुर्नविवाह की बात ही नहीं की है। इस प्रकार पूर्णतया स्पष्ट है कि ज्योती देवी ने पुर्नविवाह नहीं किया है, ज्योती देवी वीरसिंह की जायज व कानूनी वारिस है, जैसा कि ज्योती देवी के गवाहों एवं राजस्व निरीक्षक डेरापुर की रिपोर्ट दिनांक 15.02.2016 से भी स्पष्ट है। अतः सियारानी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र करके ज्योती देवी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण

प्रार्थना पत्र स्वीकार करके वीरसिंह के स्थान पर ज्योती देवी का नाम अंकित किया जाये। सियारानी को पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी अपनी लिखित या मोखिक बहस प्रस्तुत नहीं की गयी।

मैंने वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का भली भांति अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ती सियारानी को लगभग तीन वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी उनके द्वारा कोई लिखित या मौखिक बहस प्रस्तुत नहीं की गयी। आपत्तिकर्ती द्वारा एक ही स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दिनांकित 04.12. 2018 प्रस्तुत कर स्थानान्तरण की बात कही जा रही है जिसमें भिन्न तिथियों में न्यायालय मा० अपर आयुक्त महोदय को प्रस्तरवार आख्या भेजी जा चुकी है, जिसे सुनने के उपरान्त मा० अपर आयुक्त महोदय द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किये जा चुके है। दिनांक 18.05.2022 को भी पुन: मा० अपर आयुक्त कानपुर मण्डल कानपुर देहात द्वारा स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाचुका है। आपत्तिकर्ती वाद को अनावश्यक लम्बित रखने की गरज से एक ही दिनांकित 04.12.2018 का स्थानान्तरण प्रस्तुत किया जा रहा है। आपत्तिकर्ती द्वारा अपनी आपत्ति के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे उसके द्वारा प्रस्तुत आपत्ति की पुष्टि होती हो। आपत्तिकर्ती द्वारा प्रस्तुत आपत्ति बलहीन होने के कारण निरस्त कर मृतक वीरसिंह के स्थान पर ज्योती देवी का नाम वरासत के आधार पर दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

ग्राम रेरी तहसील डेरापुर की खतौनी वर्ष 1428-1433 फसली के खाता संख्या 98 गाटा संख्या 65ख रकबा 1.5570 हे० व गाटा संख्या 418 रकबा 0.0450 है० व गाटा संख्या 420 रकबा 0. 0110है० व खाता संख्या 174 के गाटा संख्या 92 रकबा 1.0820हे0 व गाटा संख्या 832 रकबा 0. 2050हे0 एवं खाता संख्या 292 गाटा संख्या 417 रकबा 0.0890 हे0 व गाटा संख्या 419 रकबा 0. 0350 हे0 से मृतक वीर सिंह पुत्र बंशलाल के का नाम पृथक कर ज्योती देवी पत्नी स्व० वीरसिंह निवासी रेरी हा०मु० शेखपुर तहसील भोगनीपुर का नाम बतौर वारिस सं०भू० दर्ज किया जाता है। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली वाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

ह०/अस्पष्ट

15.06.2022

(लखनलाल सिंह राजपूत)

तहसीलदार,

डेरापुर, कानपुर देहात।"

8. Perusal of the order of Tehsildar dated 15.6.2022 as quoted above, demonstrates that matter was examined in proper manner by Tehsildar before directing to record the name of respondent No. 4 as widow of deceased Veer Singh. The order passed by Tehsildar has been maintained in revision by the Additional Commissioner

9. Considering the entire facts and circumstances of the case, there is no scope for further interference against the impugned order passed in mutation proceeding under Section 34 of U.P. Land Revenue Act.

10. **The writ petition is dismissed with liberty to petitioner to file suit for declaration of her right in accordance with law.**

11.The Court acknowledges and appreciates the efforts and assistance of Mr. Ravi Kumar Shukla, Research Associate attached in the Chamber.

November 2, 2026
PS*

(Chandra Kumar Rai,J.)

Digitally signed by :-
PRITI SHARMA
High Court of Judicature at Allahabad